बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/बैठक/131/2014-...113...../ /पटना, दिनांक-.....15/02/2017

आदेश

विभागीय उड़नदस्ता एवं निगरानी प्रशाखा के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान पाया गया कि उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के कुछ मामलों में आरोप को सम्पुष्ट करने वाले साक्ष्य/कागजात संलग्न नहीं होने के कारण निगरानी प्रशाखा द्वारा दोषी अभियंताओं के विरूद्ध प्रपत्र 'क' का गठन करने के दौरान इसकी मांग प्रमंडल स्तर से की जाती है, जिसमें अनावश्यक विलम्ब होता है। समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि कार्य में अनियमितता संबंधी मामले मोनिटरिंग द्वारा प्रकाश में लाया जाना चाहिए । योजनाओं के अनुश्रवण, प्राक्कलन के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन एवं योजनाओं की प्रगति आदि के पर्यवेक्षण के दौरान अनियमितता परिलक्षित होने पर दोषी अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव मोनिटरिंग संगठन द्वारा दिया जाना चाहिए, जो नहीं हो रहा है । मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त निदेश दिया जाता है कि -

(i) उड़नदस्ता अंचलो द्वारा निगरानी प्रशाखा को समर्पित किये जाने वाले जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित आरोप को सम्पुष्ट करने वाले साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए ताकि दोषी अभियंताओं के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठन करने में विलम्ब न हो ।

(ii) योजनाओं के अनुश्रवण, प्राक्कलन के अनुरूप योजनाओ के क्रियान्वयन, योजनाओं की धीमी गति आदि के पर्यवेक्षण के दौरान किसी योजना में अनियमितता परिलक्षित होने पर दोषी अभियंताओं के विरूद्ध, कार्रवाई का प्रस्ताव मोनिटरिंग संगठन द्वारा दिया जाए ।

15.02.17

(योगेश्वर धारी सिंह)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-113 /पटना, दिनांक- 15/02/2017

प्रतिलिपि सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग /श्री श्यामानंद झा, संयुक्त सचिव /श्री गजानन मिश्र, संयुक्त सचिव /संयुक्त सचिव(प्रबंधन) /(अभियंत्रण)/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4/सिंचाई मोनिटरिंग अंचल/ बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल /निदेशक, काडा /उड़नदस्ता अंचल-1 एवं 2 /उप सचिव(निगरानी), जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु प्रेषित ।

15.02.17

(योगेश्वर धारी सिंह)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)